IN THE HONB'LE REVENUE BOARD AT GWALIOR

R 1964-PBR/13

Revision No. /2013

Petitioner : Anwar Hussain S/o Shri Mehmood Hussain Age- 47 Years Occupation- Agriculturist R/o Village Chatholi Tehsil Sironj Distt. Vidisha (M.P.)

Versus

Respondents :

1. Nawab Khan S/o Lt. Shri Hameed Khan
2. Payremiyan S/o Lt. Shri Hameed Khan
3. Afsarmiyan S/o Lt.Shri Hameed Khan
4. Sardar Bee D/o Lt.Shri Hameed Khan
5. Bismillah Bee D/o Lt.Shri Hameed Khan
6. Balat Bee D/o Lt. Shri Hameed Khan
7. Hafiz Zama D/o Lt. Shri Hameed Khan

All R/o Village Chatholi Tehsil Sironj Ditt. Vidisha (M.P.)

9. State of M.P. through Collector Vidisha Distt. Vidisha (M.P.)

REVISION UNDER SECTION 50 OF M.P. LAND REVENUE CODE, 1959 AGAINST THE ORDER DATED 11.03.2013 (ANNEXURE P-1) PASSED BY LEARNED ADDITIONAL COMMISSIONER BHOPAL DIVISION, BHOPAL IN CASE NO. 466/APPEAL/2009-10.

XXIX(a)-BR(H)-11

2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1964-पीबीआर/13 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/04/18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 466/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2013 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम चाठौली तह0 लटेरी जिला विदिशा में स्थित भूमि ख़सरा नं. 1650 रकवा 3.871 हे. भूमि के नामांतरण हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.09.1993 द्वारा आवेदक के हक में नामांतरण आदेश पारित किया। जिसके विरुद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। जो उनके आदेश दिनांक 30.04.2010 द्वारा अवधि वाह्य होकर अस्वीकार की गई। जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई, जो आदेश दिनांक 11.03.2013 द्वारा स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी को धारा-5 के आवेदन पर सुनवाई का अवसर देकर विधिवत आदेश पारित किए जाने के निर्देश दिए। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदकगण ने विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 27.09.1993 के विरुद्ध दिनांक 27.07.2009 को 16 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। विलंब से	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

आवेदन प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया एवं विचारण न्यायालय के आदेश की नकल दिनांक 08.07.09 को प्राप्त होने के बावजूद अपील दिनांक 27.07.2009 को 19 दिन बाद प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उक्त भूमि अब्दुल हमीद खां के खाते की भूमि थी एवं आवेदक हमीद खां का भतीजा है। अब्दुल हमीद खां ने 1993 के 13 वर्ष पूर्व हिबाकर कब्जा दिया था अर्थात 25 वर्षों से अधिक समय से आवेदक का निरंतर बतौर स्वामी आधिपत्य चला आ रहा है। हिबानामा हो जाने के पश्चात लगभग 14 वर्ष तक हिबाकर्ता हमीद खां जीवित रहे। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया है।

4. अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक ने विवादित भूमि फर्जी दस्तावेज के आधार पर अब्दुल हमीद की मृत्यु के बाद अपने नाम दर्ज करा ली। नामांतरण की कार्यवाही की कोई भी सूचना अनावेदकगण को नहीं दी गई। अब्दुल हमीद ने कभी भी किसी प्रकरण के द्वारा आवेदक को कोई भूमि नहीं दी। आवेदक ने फर्जी व्यक्ति खड़ा कर भूमि अपने नाम कराई है। यदि अब्दुल हमीद ने हिबा किया था तो उसका पंजीयन कराना आवश्यक था, क्योंकि उस संपत्ति का मूल्य 100/- रुपये से अधिक था।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1982 की धारा 122, 123 तथा 129 रजिस्ट्रीकरण 1908 धारा 17(1)(क) रु0 100/- से अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति का मुस्लिम दान लिखित में दस्तावेज की अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता है। यह भी प्रतिपादित किया गया है

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1964-पीबीआर/13 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17(1)(क) तथा 49 मुस्लिम दान का अरजिस्ट्रीकरण इसकी विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करता, किंतु यह धारा 49 के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया शासन को स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस का नुकसान हुआ है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधि संगत आदेश पारित करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना अनिवार्य हो। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस किया जाये। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	